01.06.2026

पीठासीन अधिकारी महोदय ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने से एवं कार्य प्रभार इस न्यायालय को होने से मेरे समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आवेदक सहित श्री मनीष चौबे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दगी आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

थाना औद्योगिक क्षेत्र जिला देवास से अपराध कमांक 434/2026 धारा–281 125–ए बी.एन.एस. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संक्षेप इस प्रकार है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा वाहन सुपर स्पलेण्डर कमांक एम.पी. 41 एम.एल. 2283 जप्त किया गया है। आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत मालिक एवं स्वामी है। आवेदक के स्वामित्व के उपरोक्त वाहन को पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। जप्तशुदा मोटर सायकल की प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। वाहन के अभाव में उसे अपूर्णनीय क्षति कारित हो रही है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है।

उपरोक्त आधारों पर आवेदक ने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन करते हुए न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने का अभिवचन किया है।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, जिला देवास के अपराध क्रमांक 434/2026 धारा–281, 125ए बी.एन.एस. में मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 41 एम.एल. 2283 को जप्ती पत्रक अनुसार जब्त किया जाना दर्शित है।

प्रकरण में आवेदक की ओर से पेश रजिस्ट्रेशन अनुसार आवेदक उक्त वाहन को पंजीकृत स्वामी होना प्रकट है परन्तु घटना दिनांक को उक्त वाहन का बीमा होना दर्शित नहीं है। यद्यपि आवेदक की ओर से उक्त वाहन का बीमा दिनांक 01.06.2026 को 11:44 बजे करवाया जाकर आज पटल पर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। उस अवधि तक अनावश्यक रूप से वाहन के थाने में खडे रहने से उसकी उपयोगिता में कमी आयेगी। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई एवं एक अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.सी.638** के परिप्रेक्ष्य में भी वाहन को पुलिस अभिरक्षा में रखे रहने से सम्पत्ति का नुकसान ही संभावित है।

अतः विचारोपरांत उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि 50,000/–(पचास हजार रूपये) का सुपुर्दगीनामा तथा इतनी ही राशि का बंधपत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रस्तुत किये जाने पर उसे सुपुर्दगी में प्रदाय किया जावे–

01. प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वह वाहन का अंतरण एवं विक्रय, रहन आदि नहीं करेगा।

02. न्यायालय द्वारा तलब करने पर स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पेश करेगा।

03. वाहन के रंग–स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 लगायत 03 में से किसी भी शर्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में यह सुपुर्दगी आदेश स्वतः समाप्त समझा जावेगा एवं न्यायालय सुपुर्दगी राशि के समपहरण हेतु अग्रसरित हो सकेगा।

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	संबंधित थाना प्रभारी को वाहन आवेदक के व्यय पर उक्त वाहन का सभी कोणों से छायाचित्र, वीडियोग्राफी एवं पंचनामा तैयार किए जाने के उपरांत आवेदक को वाहन अंतरिम सुपुर्दगी में प्रदान किया जावे। केस डायरी वापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। 01.06.16 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास म0प्र0 **पुनश्चः—** आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्दगीदार रामऔतार कुशवाह पिता मैयादीन कुशवाह निवासी—हा.मु. अमोना शिव मंदिर के पास देवास म.प्र. स्थाई निवासी—कछिया पुरवा, पिपरहरी, बांदा उत्तरप्रदेश द्वारा अधिरोपित शर्तो के अधीन 50,000/—(पचास हजार रूपये) का सुपुर्दगीनामा तथा इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश किया गया, जिस पर उसका स्व—हस्ताक्षरित छायाचित्र चस्पा है। आवेदक की पहचान अधिवक्ता श्री मनीष चौबे के द्वारा की गयी है। सुपुर्दगीनामा सक्षमता की जांच उपरांत स्वीकृत। संबंधित थाना प्रभारी को वाहन आवेदक के व्यय पर उक्त वाहन का सभी कोणों से छायाचित्र, वीडियोग्राफी एवं पंचनामा तैयार किए जाने के उपरांत आवेदक को वाहन अंतरिम सुपुर्दगी में प्रदान किया जावे। केस डायरी वापस हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। 01.06.16 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास म0प्र0	रामऔतार कुशवाह मनीष चौबे